बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक......................../

पटना, दिनांक.........................

सं०सं०–03/उ०नि०/योजना(हैण्डीक्राफ्टस)–02/2014

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार । अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन की व्यवस्था की योजना हेतु ₹2.00 (दो) करोड़ मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति के सम्बंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन की व्यवस्था की योजना हेतु ₹2.00 (दो) करोड़ मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय संलग्न **परिशिष्ट–I** के दिशानिदेश, कार्यों एवं शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष–मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड P–2851001040101, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5442, विषय शीर्ष 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के पुनरीक्षित आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

6. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी एकमुश्त कर बैंक ड्राफ्ट के रूप में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना को उपलब्ध करायेगें। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इस राशि का व्यय उद्योग निदेशक के निदेशानुसार करेगें। वे वित्त विभाग के पत्रांक–1380 दिनांक–19.02.2008 का अनुपालन एवं व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना तथा विपत्र में इसका उल्लेख करना सुनिश्चित करेगें।

7. इस योजना का प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण उद्योग निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा योजना के व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना से प्राप्त कर समुचित जॉचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं ह०), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगें।

8. इस योजना के कार्यान्वयन पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगे।

9. स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5442 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे।

10. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या– *सं०सं० 03/उ०नि०/योजना(हैण्डीक्राफ्टस) 02/2014* के पृष्ट–9/टि0 पर दिनांक 14.02.14 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या– 497/IDC दिनांक 14.02.14 है।

11. यह राज्यादेश संचिका संख्या– *सं०सं० 03/उ०नि०/योजना(हैण्डीक्राफ्टस) 02/2014* के पृष्ट 10/टि0 पर दिनांक–26.02.14 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया गया है, जिसका डायरी संख्या 92/OSD दिनांक 24.02.14 है।

12. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
सं०सं० 03/उ०नि०/योजना(हैण्डीक्राफ्टस) 02/2014
पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
सं०सं० 03/उ०नि०/योजना(हैण्डीक्राफ्टस) 02/2014
पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 775 /
सं०सं० 03/उ०नि०/योजना(हैण्डीक्राफ्टस) 02/2014
पटना, दिनांक 3.3.14

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

3/3/14

D:\Rahul\Work\Directorates Of Industries\Udyog Nideshalay\Sanction Order

परिशिष्ट–I

हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन की व्यवस्था की योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा निदेश, कार्य एवं शर्ते निम्नवत है :–

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के बुनकरों/शिल्पियों के स्थायी विकास के लिए उन्हें उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों/उत्पादों के बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराना है जिससे कि उनके उत्पादों की ब्रिक्री में अधिकतम वृद्धि के साथ–साथ उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके।

(ii). निर्धणतम शिल्पियों/बुनकरों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों/उत्पादों के बिक्री हेतु निःशुल्क स्टॉल/स्पेस उपलब्ध कराना।

2. **विपणन की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु योजना के अंतर्गत प्रावधान :–**

(क). हस्तकरघा बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं विदेशों में भी राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले सुविख्यात प्रदशर्नी/मेला में स्टॉल/स्थान लिया जा सकता है तथा आयोजकों के द्वारा स्टॉल/स्थान का निर्धारित शुल्क का भुगतान इस योजनाअंतर्गत किये जाने का प्रावधान किया गया है। किसी एक प्रदर्शिनी/मेला में अधिकतम पचास स्टॉल का शुल्क का भुगतान इस योजना के अन्तर्गत्त किया जा सकेगा।

(ख). विपणन व्यवस्था को सुदृढ करने के उद्देश्य से ऐसे स्थायी हाट जैसे–दिल्ली हाट, राजीव गाँधी हस्तशिल्प भवन आदि स्थायी व्यवसायिक स्पेस का निर्धारित शुल्क/किराया का भुगतान इस योजनान्तर्गत किया जायेगा। इस प्रकार के स्थानों पर सीमित अवधि के लिए स्टॉल/स्पेस का आरक्षण कराया जायेगा एवं देय शुल्क/किराया प्रतिमाह ₹1.00 (एक) लाख रूपया से अधिक योजनान्तर्गत देय नहीं होगा।

(ग). विदेश में आयोजित हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प पर आधारित अंतरराष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी में जहां इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गनाइजेशन (आइटीपीओ), एक्सपोर्ट प्रोमोशन कॉसिल फॉर हैंडिक्राफ्ट्स (इपीसीएच), कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन कॉसिल (सीइपीसी) द्वारा स्पेस बुक किया गया हो, ऐसे मेले में हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के उत्पादों के बिक्री एवं प्रदर्शनी हेतु 12 स्क्वायर मीटर तक का स्टॉल स्पेस का निर्धारित शुल्क का भुगतान इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। विदेश में आयोजित ऐसे मेला/पर्दशनी में स्टॉल धारकों को प्रति स्टॉल पर दो हस्तशिल्पियों/बुनकरों को मेला में भाग लेने हेतु T.A./D.A. का भुगतान भी इस योजना के अंतर्गत किया जायेगा। मेला/पर्दशनी में भाग लेने हेतु वैसे हस्तशिल्पियो/बुनकरों को नामित किया जायेगा, जो राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार से सम्मानित होगें। इस योजना अंतर्गत्त किसी समूह या हस्तशिल्पी/बुनकर विदेश में आयोजित ऐसे मेला एवं प्रर्दशनी में भाग लेने हेतु एक वर्ष में एक ही बार सहायता प्रदान किया जायेगा।

3. **योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने हेतु शर्तें :–**

(क). स्टॉल स्पेस का आबंटन हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के वैसे समूह को ही किया जाएगा, जो कंपनी एक्ट/सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत्त निबंधित हो। प्रत्येक समूह में न्यूनत्तम 20 हस्तशिल्पियों/बुनकरों की सदस्यता आवश्यक होगी।

(ख). केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत Approved कलस्टर से जुड़े समूह को स्टॉल/स्पेस के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

3/3/19

D:\Rahul_Work\Directorates Of Industries\Udyog Nideshalay\Sanction Order